मुद्रक—सैहणा ऑफसेट प्रि...

फर्द अहकाम

(नियम (26))

सिकराय ....

अज अदालत.................................... बनाम ....

.... मु०नं०..........................

किस्म मुकदमा..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	इसलिए प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनता है। वादी पक्ष का कब्जा रहा है परन्तु प्रतिवादी विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए अपना हक पाना चाह रहा है प्रतिवादी के पक्ष में 183 B की बेदखली की कार्यवाही भी फैसला हुई है। वादीगण ने कब्जे का हवाला देते हुए अस्थायी आदेश के तीनों बिन्दु स्वयं के पक्ष में बताए प्रतिवादी ने बहस करते हुए स्वयं को खातेदार होने, जनजाति वर्ग से होने के कारण स्वयं के पक्ष में बताया एवं चूंकि स्वयं की होने से अपूर्णनीय क्षति स्वयं को होना बताया। उभयपक्षों को सुनने के बाद न्यायालय का अभिमत है कि प्रतिवादी के रिकॉर्ड खातेदार होने एवं उनके जनजाति सदस्य के होने के कारण उनके विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसलशुदा दाखिल हो नम्बर नकल हो हस्ताक्षरित बाद हो।

(हस्ताक्षर)

10/8/17